केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली

सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) दिशा-निर्देश

प्रस्तावना :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में शिक्षकों को शैक्षिक परिवर्तन की आधारशिला के रूप में देखा गया है। अधिगम की प्रक्रिया के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में, शिक्षक मूलभूत परिवर्तनकर्ता हैं, जो शिक्षा के विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। आज की तीव्र गति वाली दुनिया में, जहाँ सूचना प्रचुर मात्रा में व्याप्त है तथा मीडिया प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध है । शिक्षकों के लिए यूनेस्को के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 21वीं सदी के कौशल और दक्षताओं में निपुणता हासिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण के सहयोग हेतु एनईपी 2020 प्राचार्यों और शिक्षक- शिक्षकों के लिए प्रत्येक वर्ष 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) का समर्थन करता है।

पैरा 5.15 (एनईपी 2020)- . प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा की जाएगी कि वे स्वयं के हितों से प्रेरित होकर स्वयं अपने लिए व्यावसायिक विकास के लिए कम से कम 50 घंटे के सीपीडी अवसरों में प्रति वर्ष भाग लें। सीपीडी अवसर, विशेष रूप से, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, सीखने के परिणामों का रचनात्मक और अनुकूली मूल्यांकन, योग्यता-आधारित शिक्षा और संबंधित शिक्षा जैसे कि अनुभवात्मक शिक्षा, कला-एकीकृत, खेल-एकीकृत और कहानी-आधारित दृष्टिकोण आदि के बारे में नवीनतम शिक्षाशास्त्र को व्यवस्थित रूप से समाहित करेंगे।

सतत व्यावसायिक विकास का उद्देश्य शिक्षकों को अत्याधुनिक शैक्षणिक उपकरणों से सशक्त बनाना है, ताकि उन्हें "कैफेटेरिया दृष्टिकोण" के माध्यम से अपने पेशेवर विकास को अनुकूलित करने की स्वतंत्रता मिल सकें, जहाँ वे ऑफ़लाइन और ऑनलाइन प्रशिक्षण गतिविधियों की एक श्रृंखला चुन सके, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास :

प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास केविसं ढांचे का अभिन्न अंग हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। केविसं भारत में एक अग्रणी शैक्षिक संगठन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए निरंतर सुधार और नवाचार को अपनाने का प्रयास करता है। इस अभियान के एक हिस्से के रूप में, एनईपी 2020 में अनुशंसित कम से कम 50 घंटे के सीपीडी को पूरा करने के लिए सुझावात्मक दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और संबंधित सभी हितधारकों के लिए प्रस्तुत किया गया हैं।

50 घंटे के सीपीडी प्रशिक्षण को मुख्य रूप से ऑफलाइन अर्थात आमने-सामने मोड और ऑनलाइन / दूरस्थ मोड में वर्गीकृत किया गया है, जो प्रति शैक्षणिक वर्ष क्रमशः 30 और 20 घंटे का है।

क्र.सं.	शैक्षणिक वर्ष/ तिमाही	माह	तिमाही में कुल घंटे	आमने-सामने मोड पर आयोजित प्रशिक्षण/मूल्यांकन	घंटों की संख्या (आमने-सामने मोड पर)	ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण	घंटों की संख्या (ऑनलाइन)
1	तिमाही-1	अप्रैल मई जून	12 घंटे	एक्शन रिसर्च/नवाचार प्रोजेक्ट/ कार्यशालाएं	6 घंटे	केविसं द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम दीक्षा, निष्ठा, एनसीईआरटी, सीबीएसई, इग्नू, स्वयं मूक्स आदि द्वारा ऑनलाइन सर्टिफिकेट/क्रेडिट पाठ्यक्रम .	6 घंटे
2	तिमाही-2	जुलाई अगस्त सितंबर	20 घंटे	संवर्धन विषय (सीबीएल, सीबीए, पीबीएल) पर आधारित कार्यशालाएं	18 घंटे		2 घंटे
3	तिमाही-3	अक्टूबर नवंबर दिसंबर	9 घंटे	आधे दिन की कार्यशालाएं	3 घंटे		06 घंटे
4	तिमाही-4	जनवरी फरवरी मार्च	9 घंटे	क्षेत्रीय कार्यालय /जीटस स्तर पर ई-कंटेंट डेवलपमेंट/ सेमिनार	3 घंटे		6 घंटे

टिप्पणी :

(I) पीजीटी, टीजीटी, एचएम और पीआरटी के लिए उपरोक्त सीपीडी घंटों का कार्यान्वयन और अनुवीक्षण विद्यालय स्तर पर प्राचार्य द्वारा निष्पादित तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर सत्यापित किया जाएगा ।

(II) प्राचार्यों और उप-प्राचार्यों द्वारा निष्पादित किए गए सीपीडी घंटों का कार्यान्वयन और सत्यापन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

(III) कार्यशालाओं के लिए विषय एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित 'शिक्षकों, मुख्याध्यापकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास के लिए दिशानिर्देश के अनुलग्नक-I से चुने जा सकते हैं।

प्रशिक्षण के ऑनलाइन मोड को आमने-सामने के मोड से बदला जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत नहीं।

सुझाई गई गतिविधियाँ एनसीईआरटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित हैं।

50 घंटे = 30 (आमने-सामने) + 20 घंटे (ऑनलाइन मोड)

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए सीपीडी पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाने वाले सुझावात्मक क्षेत्र/विषय प्रत्येक सत्र की अवधि 1.5 घंटे मानी जाएगी।					
विद्यालय स्तर/क्लस्टर स्तर		**क्षेत्रीय स्तर**		**केविसं जीटस /मुख्यालय स्तर**	
आमने-सामने मोड (ऑफ़लाइन)	**ऑनलाइन मोड**	**आमने-सामने मोड (ऑफ़लाइन)**	**ऑनलाइन मोड**	**आमने-सामने मोड (ऑफ़लाइन)**	**ऑनलाइन मोड**
विभिन्न शैक्षणिक दृष्टिकोण	शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी का प्रयोग	विषय सामग्री संवर्धन	व्यक्तित्व विकास	स्कूल सुरक्षा और रक्षा	लिंग संवेदीकरण और कानूनी जागरूकता
केविसं प्रमुख कार्यक्रम	समावेशी शिक्षा	कला एकीकृत अधिगम	पढ़ने की आदतों में सुधार करने हेतु रणनीतियाँ	डिजिटल लाइब्रेरी और ई-ग्रंथालय	समावेशी शिक्षा
शिक्षा एनईपी 2020 -विशेषताएँ	संचार कौशल	स्काउट और गाइड	क्लब और समितियों का प्रभावी उपयोग	बाल अधिकार और पॉस्को अधिनियम 2012	मार्गदर्शन और परामर्श
डिज़ाइन अधिगम परिणाम	निपुण भारत	प्रभावी कक्षा-कक्ष प्रबंधन	व्यावसायिक/ पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा को समझना और बैग-रहित दिवस	राजभाषा: अधिनियम, नियम और संवैधानिक प्रावधान	सूची प्रबंधन और वस्तुओं का निरस्तीकरण
अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण	एफएलएन	रंगमंचीय शिक्षा	राजभाषा	अनुसंधान कार्रवाई	एसक्यूएएएफ
21वीं सदी के एकीकृत कौशल	समग्र रिपोर्ट कार्ड	अनुसंधान कार्रवाई	एसीपी/एईपी/ रूपेंटर/इंस्पायर मानक पुरस्कार/आईओक्यूएम और अन्य ओलंपियाड संबंधित	शिक्षकों द्वारा बनाए रखे जाने वाले रिकॉर्ड	जर्नल लेखन/अपने शिक्षण अनुभवों का दस्तावेजीकरण

			प्रशिक्षण		
अध्ययन की योजना, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक	साइबर सुरक्षा	मूल्यांकन संरचना	एनसीएफ की भूमिका के आलोक में दक्षताएं, पाठ्यचर्या लक्ष्य और अधिगम के परिणाम	पीएम श्री स्कूलों में प्रमुख कार्यक्रमों और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिका	सफल
दक्षता आधारित परीक्षण की तैयारी	मूल्यपरक शिक्षा	21वीं सदी के कौशल	सहायक कक्षा-कक्ष पर्यवेक्षण	एनसीएफएफएस 2022, एनसीएफएसई 2023	केविसं /सीबीएसई की मूल्यांकन नीति
प्रभावी कक्षा-कक्ष प्रबंधन	कहानी सुनाना शिक्षण	यूबीआई/पीआई एमएस/यूडीआई एसई/तारा पोर्टल/ प्रशस्त	कक्षा-कक्ष शिक्षण और मूल्यांकन के लिए आईसीटी उपकरण	पीओएसएच अधिनियम 2013 सहित लिंग संवेदीकरण	स्कूल प्रक्रियाएं (एनसीएफएसई-2023)
राजभाषा	खेल एकीकृत शिक्षा और गेमिफिकेशन	योग्यता आधारित परीक्षण की तैयारी	शैक्षणिक विषय-वस्तु ज्ञान	क्रय प्रक्रिया-जीएफआर 2017 जीईएम पोर्टल	शिक्षकों के लिए आचार संहिता शिक्षा संहिता का अनुच्छेद 59 (वेबएक्स/गूगल मीट/यू-ट्यूब लिंक के माध्यम से)
अनुसंधान कार्रवाई		शैक्षणिक बदलाव और अनुभवात्मक/ योग्यता आधारित शिक्षण के लिए शिक्षणशास्त्र	संज्ञानात्मक रूप से निर्देशित निर्देश रणनीतियाँ	सेवा मामले - -आचरण नियम - अनुशासनात्मक नियम -छुट्टी नियम – यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नियम -अन्य संबद्ध मामले	
मूल्यांकन संरचना		एकीकृत शिक्षण और बहुविषयक दृष्टिकोण		खिलौना आधारित शिक्षण	

भावनात्मक और मानसिक कल्याण		योग्यता आधारित मूल्यांकन		समावेशी शिक्षा और प्रशस्त	
जादुई-पिटारा		योग्यता आधारित मूल्यांकन			

- ✓ विद्यालय स्तर पर सीपीडी के लिए सत्र केवल आमनेमें आयोजित किए (ऑफ़लाइन मोड) सामने मोड- जाने चाहिए।
- ✓ जीटस स्तर की सीपीडी को %100पहुंच और प्रभावशीलता के लिए कैस्केडिंग मोड में क्षेत्रीय और विद्यालय स्तर पर किया जाना चाहिए।
- ✓ सीपीडी क्षेत्र चुनने के लिए जीटस /क्षेत्रीय स्तर विद्यालय में प्रशिक्षण आवश्यकता/का विश्लेषण किया जाना चाहिए। ।
- ✓ घंटे 30की आमने सामने-एवं घंटे ऑनलाइन सीपीडी अनिवार्य होनी चाहिए। 20तथापि जीटस /क्षेत्रीय कार्यालय और विद्यालय किसी दिए गए सीपीडी क्षेत्रविषय/ के लिए सीपीडी का मोड चुन सकते हैं।

बाह्य एजेंसियों-एनसीईआरटी/सीआईईटी/इग्नू/स्वयंम/आई-गॉट कर्मयोगी/निष्ठा/दीक्षा/ एनआईओएस, या केविसं द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य एजेंसी/ज्ञान भागीदार द्वारा संचालित सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) पाठ्यक्रम -

केविसं द्वारा अनुमोदित सतत व्यावसायिक विकास पाठ्यक्रम या एनसीईआरटी/सीआईईटी/इग्नू/स्वयंम /आई-गॉट /कर्मयोगी/निष्ठा/दीक्षा/एनआईओएस/सीबीएसई/एनसीपीसीआर या किसी अन्य ज्ञान भागीदार से शिक्षक द्वारा किया गया पूर्व स्वीकृत पाठ्यक्रम घंटों की गणना/सत्यापन के लिए सीपीडी माना जा सकता है :-

क्रम संख्या	एजेंसी/सीपीडी	घंटों की संख्या
1	एनसीईआरटी/सीआईईटी/निष्ठा/दीक्षा/आई-गॉट कर्मयोगी/सीबीएसई/किसी अन्य ज्ञान भागीदार द्वारा निश्चित घंटों की संख्या के साथ तैयार किए गए पाठ्यक्रम	सीपीडी में बिताए गए घंटों की वास्तविक संख्या
2	इग्नू/स्वयंम द्वारा संचालित क्रेडिट पाठ्यक्रम	03 घंटे के लिए 1 क्रेडिट प्वाइंट
3	स्वयंम या किसी अन्य एजेंसी के गैर-क्रेडिट पाठ्यक्रम	शून्य

केविसं/अन्य संगठनों में आमने-सामने/ऑनलाइन मोड में स्व-शिक्षण द्वारा सीपीडी की अन्य गतिविधियाँ । इन गतिविधियों को भी आवश्यकता को पूरा करने या उससे आगे जाने के लिए सीपीडी के एक भाग के रूप में लिया और मान्यता दी जा सकती है-

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	सीपीडी घंटे
विद्यालय/क्षेत्रीय/मुख्यालय/राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशन/पत्रिका/न्यूज़लैटर/पत्रिका में योगदान		
1	विद्यालय/क्षेत्रीय स्तर के प्रकाशन /पत्रिकाएं -योगदानकर्त्ता -संपादकीय बोर्ड के सदस्य	 1 2

2	केविसं/राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशन/पत्रिका/न्यूज़लैटर/पत्रिका में योगदान -योगदानकर्त्ता -संपादकीय बोर्ड के सदस्य	 2 6
	पेपर प्रकाशन और प्रस्तुति	
3	क) स्थानीय / क्षेत्रीय स्तर का प्रकाशन /मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं और पत्रिकाओं में प्रस्तुति : आधा दिन ख) राष्ट्रीय स्तर का प्रकाशन /मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं और पत्रिकाओं में प्रस्तुति : एक दिन ग) अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रकाशन /मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं और पत्रिकाओं में प्रस्तुति : दो दिन	3 6 12
4	क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय स्तर द्वारा आवंटित(प्रतिदिन) ई-सामग्री विकास/विद्यार्थी सहायता सामग्री/मॉडयूल विकास/पुस्तक/पुस्तकों में अध्याय (भारतीय और विदेशी भाषाएँ) विद्यालायी शिक्षा के विषयों के लिए अनुवाद जिसमें सामान्य विषय जैसे ई –सामग्री / मॉडयूल विकास शामिल है ।	6
5	पीएम ई-विधा चैनल पर आधे घंटे का सीधा प्रसारण सत्र/चर्चा	3
6	आमने –सामने मंच पर एक सत्र में पूर्व –अनुमोदित विशेषज्ञ /संसाधन व्यक्ति और कार्यशालाओं /सवाकलीं ,सेमीनार ,संगोष्ठी,संगम आदि में अनुभव , पेपर ,व्यक्त के रूप में भागीदारी आदि (प्रतिदिन) साझा करना ।	3
7	क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर एक स्कूल विषय के पेपर की सेटिंग	3

सतत व्यावसायिक विकास के सामान्य उद्देश्य

1. शिक्षकों को विद्यार्थियों में दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलवाद, समानता और न्याय जैसे नैतिक, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों को प्रदर्शित करने और विकसित करने के लिए संवेदनशील बनाना।
2. शिक्षकों को मानवाधिकारों और महत्वपूर्ण शैक्षणिक दृष्टिकोणों के संदर्भ में नागरिकता शिक्षा की पुनः अवधारणा बनाने में सक्षम बनाना, पर्यावरण और उसके संरक्षण, अपने प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य में रहने पर जोर देना और शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक जीवन शैली के लिए कौशल को बढ़ावा देने जैसे मूल्यों को विकसित करना।

3. विद्यार्थियों की सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी और प्रतिक्रिया देने हेतु शिक्षकों को प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में तैयार किया जाना ।

4. विद्यार्थियों में रचनात्मकता और नवाचार की वृद्धि हेतु कला को शिक्षण के रूप में प्रयुक्त करने के लिए शिक्षकों को शिक्षित करना।

5. एक सक्षम और समृद्ध समावेशी कक्षा वातावरण के निर्माण के लिए शिक्षकों को उन्नत करना।

6. शिक्षकों को बहु-विषयक और समग्र शिक्षा का अभ्यास करने के लिए उन्मुख करना।

7. विद्यार्थियों के अधिगम के परिणामों में सुधार के लिए शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा, कला-एकीकृत शिक्षा, खेल-एकीकृत शिक्षा, खिलौना-आधारित शिक्षा और आईसीटी के एकीकरण की दिशा में अभिविन्यास प्रदान करना।

8. शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण के दौरान संचार, सहयोग, टीमवर्क और लचीलापन जैसे जीवन कौशल को बढ़ावा देने के लिए सुविधा प्रदान करना।

9. शिक्षकों को एक व्यावसायिक के रूप में आजीवन सीखने के लिए लिंग, जाति, धर्म, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और स्थानीय संदर्भ जैसी विविधता का सम्मान करने के लिए संवेदनशील बनाना।

10. शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को अपनाने और रटने की प्रक्रिया से योग्यता

आधारित शिक्षा की ओर अग्रसर करने हेतु तैयार करना।

11. शिक्षकों को योग्यता के आधार पर तनाव मुक्त स्कूल आधारित मूल्यांकन विकसित करने के लिए तैयार

करना।

12. शिक्षकों और विद्यालय प्रमुखों को विद्यालयी शिक्षा के नए आयामों तथा और उन्हें अपने स्कूल में लागू करने के बारे में शिक्षित करना

13 विद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व में परिवर्तन लाने हेतु विद्यालय प्रमुखों को नए आयामों के बारे में शिक्षित करना |

14. शिक्षक को अपने अभ्यास का अन्वेषण करने, उस पर चिंतन करने और उसे विकसित करने में सक्षम बनाना।

15. विद्यार्थियों के अधिगम के परिणामों में सुधार के लिए शिक्षकों को शिक्षार्थियों और उनकी शिक्षा पर शोध करने और चिंतन करने में सक्षम बनाना।

16. शिक्षकों को स्थानीय और वैश्विक चिंताओं के शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों के बारे में उन्नत करके तदनुसार कार्य करना।

17. भारतीय संस्कृति में निहित पाठ्यक्रम एवं देश में इनकी समृद्धता, विविधता, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति तथा ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं पर गर्व करने के लिए कक्षा प्रथाओं के साथ पाठ्यक्रम को शिक्षक को संरेखित करने में सक्षम बनाना।

प्रशिक्षण क्षेत्रों के विशिष्ट उद्देश्य

***ये उद्देश्य सुझावात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।**

1 शैक्षणिक बदलाव
- विभिन्न शिक्षण प्रक्रियों को पूर्ण करने हेतु विविध शिक्षण विधियों का विकास करना ।
- सक्रिय शिक्षण रणनीतियां जैसे समूह कार्य और चर्चा को लागू करना ।
- पारंपरिक शिक्षण विधियों से विद्यार्थी-केंद्रित अधिगम की ओर परिगमन ।
- फ्लिप्ड कक्षा - कक्ष और मिश्रित शिक्षण जैसी नई शिक्षण रणनीतियों को अपनाना ।

2 केविसं फ्लैगशिप प्रोग्राम
- केन्द्रीय विद्यालयों में शैक्षणिक मानकों और बुनियादी ढांचे में सुधार करना ।
- शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यार्थी –सहायता सेवाओं को बेहतर बनना ।

3 एनईपी 2020– विशेषताएँ
- समग्र और बहु-विषयक शिक्षा पर जोर।
- मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान दिया जाना ।
- आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देना ।

4 अधिगम के डिजाइन परिणाम

- विद्यार्थियों के अधिगम के लिए स्पष्ट , मापने योग्य लक्ष्य स्थापित की जाए ।
- पाठ्यक्रम मानकों और मूल्यांकन विधियों को परिणामों के साथ संरेखित किए जाए

5 अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण

- अनुभव प्रतिबिंब के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित करना ।
- वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों और व्यावहारिक गतिविधियों का उपयोग करना ।

6. 21 वीं सदी के कौशल एकीकृत करना

- रचनात्मकता, संचार, सहयोग और आलोचनात्मक चिंतन जैसे कौशलों को विकसित करना।
- पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता और तकनीकी को शामिल करना।

7. योग्यता-आधारित शिक्षा

- विद्यार्थियों का विशेष योग्यताओं और कौशलों को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करना।
- प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और प्रगति के अनुसार अधिगम कार्यप्रणाली को निर्धारित करना।

8. योग्यता-आधारित आकलन की तैयारी

- विद्यार्थियों के कौशलों और ज्ञान का प्रभावी ढंग से आकलन करने हेतु मूल्यांकन डिज़ाइन करना।
- रटकर याद करने की अपेक्षा अनुप्रयोग और समझने पर ध्यान केन्द्रित करना।

9. योग्यता-आधारित मूल्यांकन

- विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनके विशिष्ट कौशलों और ज्ञान प्रदर्शित करने की क्षमता के आधार पर करना।
- विद्यार्थियों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विविध आकलन विधियों का प्रयोग करना।

10. प्रभावी कक्षा कक्ष प्रबंधन

- सकारात्मक शिक्षण वातावरण सृजित करने हेतु रणनीतियाँ लागू करना।
- विविध विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए और कक्षागत व्यवहार का प्रबंधन करना।
- एक सकारात्मक शिक्षण वातावरण का निर्माण स्पष्ट नियमों और प्रक्रियाओं के माध्यम से करना।
- विद्यार्थियों को शामिल करने और प्रभावी कक्षागत व्यवहार के प्रबंधन के लिए रणनीतियों का प्रयोग करना।

11. राजभाषा

- शिक्षा प्रणाली में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना।
- प्रभावी प्रशिक्षण और संसाधन के लिए भाषा निर्देशों को उपलब्ध कराया जाना।

12. क्रियात्मक अनुसंधान

- शिक्षण पद्धतियों में सुधार हेतु शिक्षकों को अनुसंधान में क्रियाशील होने के लिए प्रोत्साहित करना।
- शैक्षिक हस्तक्षेपों के लिए डाटा और साक्ष्यों का प्रयोग करना।

13. आंकलन संरचना

- रचनात्मक और योगात्मक आकलनों को सम्मिलित कर एक संतुलित आंकलन प्रणाली विकसित करना।
- अनुदेशों को निर्देशित करने और विद्यार्थी के अधिगम में सहायक आंकलन का प्रयोग करना।

14. शिक्षा में रंगमंच

- अधिगम के अनुभवों में वृद्धि के लिए नाटक और रंगमंच तकनीकियों का प्रयोग करना।
- रचनात्मकता, सहानुभूति, और संचार कौशलों को प्रदर्शन कलाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना।

15. विषय सामाग्री में संवर्धन

- उन्नत विषयों और अंतःविषयक थीमों को समाविष्ट करने हेतु पाठ्यक्रम सामग्री को वृहद बनाना।
- सामयिक ज्ञान और प्रथाओं को प्रतिबिम्बित करने के लिए शिक्षण सामग्री को अद्यतन किया जाना।

16. कला और खेल एकीकृत शिक्षा

- शैक्षिक अवधारणाओं को सीखने और सुदृढ़ करने के लिए कला को एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना।
- कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से रचनात्मक और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना।

17. एकीकृत शिक्षण और बहुविषयक दृष्टिकोण

- एक समग्र शिक्षण अनुभव के लिए विभिन्न विषय क्षेत्रों के बीच संबंध स्थापित करना।
- अंतःविषयक योजनाओं और गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना।

18. स्काउट और गाइड

- नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क और जीवट कौशल को विकसित करना।
- सामुदायिक सेवा और पर्यावरणीय संरक्षण की भावना को बढ़ावा देना।
- संवैधानिक मूल्यों, भारतीयता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना।

19. यूबीआई/पीआईएमएस/यूडीआईएसई/तारा पोर्टल

- शैक्षिक डाटा और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए इन पोर्टलों का उपयोग किया जाना।
- विद्यार्थी और विद्यालय की प्रदर्शन मैट्रिक्स की सटीक ट्रेकिंग और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

20. आचार संहिता

- शैक्षणिक संस्थानोंकार्यस्थलों में आचरण और नैतिकता के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों क /ी स्थापना करना।
- आदर, ज़िम्मेदारी और ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना।

क्रॉस कटिंग के मामले और संबंधितों के अन्य मुद्दों एवं विषयों तथा थीमों के संबंध में कृपया एनसीईआरटी सीपीडी दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-1 का संदर्भ लें। लिंक https://ncert.nic.in/pdf/guidelines50HoursCpd.pdf

सतत व्यावसायिक विकास योजना का संवर्गवार (आधारभूत/ प्रारम्भिक/मध्य/माध्यमिक)/ चरणवार कैलेंडर –

विद्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/जीट/मुख्यालय वार्षिक सीपीडी कैलेंडर तैयार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखें -

- नवीनतम शैक्षणिक और विषयवस्तु आवश्यकताएँ
- एनईपी -2020 कार्यान्वयन अधिदेश
- सभी स्तरों पर शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की परिपूर्णता

सतत व्यावसायिक विकास पोर्टफोलियो

प्राचार्य सभी गतिविधियों पर शिक्षक द्वारा दिए गए प्रासंगिक घंटों को भी एक वर्ष में दो बार, अर्थात प्रथम चरण 16 से 31 अक्टूबर तक तथा द्वितीय चरण में 16 से 31 मार्च तक प्रमाणित करेंगे । प्रथम चरण के सीपीडी के शेष लक्षित घंटों को 15 मार्च तक पूरा करने के लिए यदि आवश्यकता हुई तो प्राचार्य, समीक्षा करेंगे, प्रमाणित करेंगे और सुझाव देंगे। दूसरे चरण के दौरान मार्च के तीसरे सप्ताह में, प्राचार्य संबन्धित शिक्षक द्वारा पूरी की गई गतिविधियों के समर्थन में प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों/सबूतों के उचित सत्यापन के बाद गतिविधियों और घंटों को अंतिम रूप से प्रमाणित करेंगे।

कर्मचारी के एपीएआर में 50 घंटे के सीपीडी पर रिपोर्टिंग अधिकारी की टिप्पणी अनिवार्य रूप से उल्लेखित की जानी चाहिए । जिस क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसका विशेष रूप से उल्लेख उचित कालम में किया जाना चाहिए।

शिक्षक, मुख्यध्यापक, उप-प्राचार्य और प्राचार्य जिन्होने पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) में न्यूनतम 100 घंटे पूरे कर लिए हैं, उन्हें संसाधन व्यक्ति, सहायक कोर्स निदेशक या कोर्स निदेशक की भूमिकाओं के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।